न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी – राजवीर सिंह यादव R.A.S.

प्रार्थना पत्र संख्या :– 08/2018 दायर तारीख :– 05.01.2018

1. रामचन्द्र कटारिया पुत्र भैंरूराम कटारिया जाति बलाई निवासी खोरी तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर —— प्रार्थी

बनाम

1. रामेश्वर [illegible] जाति महाजन
2. चुन्नीलाल [illegible]
3. जगदीश
4. मूली देवी } पु[illegible]
5. संतोष देवी
6. छोटी देवी पत्नी भरतमल
7. बाबूलाल
8. बनवारी
9. रूडी देवी
10. बनारसी देवी
11. भगोती देवी
    (7–11) पिसरान भरतमल
12. नारायण देवी पत्नी बोदूराम
13. चन्द्रप्रकाश
14. जयप्रकाश
    (13–14) पुत्रान बोदूराम
15. कमलेश पुत्री बोदूराम
16. शम्भूदयाल पुत्र श्योदान

(1–16) जाति माली निवासी बीजक रोड विराटनगर, जिला जयपुर

17. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील विराटनगर, जिला जयपुर

—— अप्रार्थीगण

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर जयपुर

प्रार्थना पत्र बाबत सीमांक पत्थरगढी एवं सीमा निश्चयकरण

उपस्थित : श्री अवधेश कुमार शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थी
पैरोकार सरकार

निर्णय

निर्णय दिनांक : 14.03.2019

1. प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि उसके ग्राम विराटनगर के खसरा नम्बर 3606/0.50, 3612/0.15 हैक्टेयर [illegible] प्रार्थी की खातेदारी भूमि है। प्रार्थी ने अपनी की खातेदारी भूमि की तहसीलदार विराटनगर के आदेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2021.07.19 16:38:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

Scanned by CamScanner

क्रमांक : भू.अ./2014/804 दिनांक 06.05.2014 की पालना में सीमाज्ञान करवा लिया है। प्रार्थी अब अपनी भूमि को सुरक्षित करवाने की गरज से पत्थरगढी करवाना चाहता है। अतः निवेदन है कि ग्राम विराटनगर के खसरा नम्बर 3606/0.50, 3612/0.15 हैक्टेयर की सीमा का सही विनिश्चयकरण एवं सीमांकन करवाते हुए मौके पर पत्थरगढी किये जाने के आदेश प्रदान करें।

2. प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज पंजीका किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद सम्यक तामील अनुपस्थित रहे, एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। पैरोकार सरकार उपस्थित।
3. प्रार्थी ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी संवत् 2073–2076, नकल नक्शा ट्रेस, नकल फर्द मौका रिपोर्ट सीमाज्ञान 06.05.2014 आदि पेश किये।
4. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार को सुना गया।
5. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया एवं बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। ग्राम विराटनगर के खसरा नम्बर 3606/0.50, 3612/0.15 हैक्टेयर भूमि की खातेदारी प्रार्थी के नाम दर्ज रिकार्ड है। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी का तर्क रहा कि मौके पर पडौसी खातेदार प्रार्थी की आराजी की सीमा–डोल तोडते हैं, जबकि अन्य किसी का, प्रार्थी की आराजी से कोई संबंध नहीं है। यह भी कि प्रार्थी ने दिनांक 06.05.2014 को तहसीलदार विराटनगर के आदेश से सीमाज्ञान करवाया है। खातेदार को अपनी आराजी की सुरक्षा की दृष्टि से सीमाओं की जानकारी होना आवश्यक है। अतः प्रार्थी एवं अन्य खातेदारों के मध्य भविष्य में होने वाले विवाद को रोकने के लिए यह आवश्यक है कि प्रार्थी की आराजी की पत्थरगढी की जाकर स्थायी सीमाचिन्ह स्थापित किये जावें।
6. प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के अभिकथनों को सुसंगत दस्तावेजी साक्ष्यों से बखूबी साबित किया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिये जाते हैं कि प्रार्थी की वर्णित भूमि वाके ग्राम विराटनगर के खसरा नम्बर 3606/0.50, 3612/0.15 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढी कर, स्थायी सीमांकन चिन्ह स्थापित करावे। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। निर्णय की पालना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक 14.03.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2021.07.19 16:38:09 IST
Reason: SelfAttested

(राजवीर सिंह यादव R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
विराट नगर, जयपुर

Scanned by CamScanner